

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04-सुभाष रोड़ देहरादून।

टेलीफोन- 0135-2713551, 2713552 एवं 2713724

Email ID = election09@gmail.com & ceo\_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या-166 /XXV - 01 / 2024

दिनांक:

देहरादून 13 जनवरी, 2024

-: शुद्धि पत्र (Corrigendum):-

निर्वाचन कार्यों की महत्ता, समयबद्धता एवं तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए तथा निविदा में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किए जाने हेतु लोक सभा सामान्य निर्वाचन के लिए मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री आदि की आपूर्ति के लिए निविदा सूचना संख्या-11/XXV - 01 / 2024 दिनांक 01 जनवरी, 2024 के साथ संलग्न निविदा संख्या-24/XXV - 01 / 2024 दिनांक 02 जनवरी, 2024 के द्वारा आमंत्रित ई-निविदा को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

1-पृष्ठ संख्या-4, बिन्दु संख्या-6.7

| पूर्व में निर्धारित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वर्तमान में यथा संशोधित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6.7- ई-निविदा-दाता का विगत पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र/किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायत्तशासी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र-केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर, पैम्फलेट आदि की आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यादेश तथा सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान का स्पष्ट प्रमाण-पत्र होना चाहिए:-</p> <p>क-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 15.00-15.00 लाख (पन्द्रह-पन्द्रह लाख) के तीन अलग-अलग आदेश, या</p> <p>ख-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 30-30 लाख (तीस-तीस लाख) के दो अलग-अलग आदेश, या</p> <p>ग-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50.00 लाख (पच्चास लाख) का एक सिंगल आदेश।</p> | <p>6.7- ई-निविदा-दाता का विगत पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र/किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायत्तशासी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र-केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर, पैम्फलेट आदि की आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यादेश तथा सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान का स्पष्ट प्रमाण-पत्र होना चाहिए:-</p> <p>क-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 10.00-10.00 लाख (दस-दस लाख) के तीन अलग-अलग आदेश, या</p> <p>ख-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 15.00-15.00 लाख (पन्द्रह-पन्द्रह लाख) के दो अलग-अलग आदेश, या</p> <p>ग-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 30.00 लाख (तीस लाख) का एक सिंगल आदेश।</p> |

✓ 132

mas

sh

de



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>पृष्ठ संख्या-8 के प्रस्तर- 8.6</b></p> <p><b>8.6-</b> विगत पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में से <b>किसी भी एक वित्तीय वर्ष में</b> केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र/किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायत्तशासी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र-केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर, पैम्फलेट की आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कार्यादेश तथा सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान का स्पष्ट प्रमाण-पत्र अपलोड करना चाहिए:-</p> <p>क-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 15.00-15.00 लाख (पन्द्रह-पन्द्रह लाख) के तीन अलग-अलग आदेश, या</p> <p>ख-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 30-30 लाख (तीस-तीस लाख) के दो अलग-अलग आदेश, या</p> <p>ग-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50.00 लाख (पच्चास लाख) का एक सिंगल आदेश।</p> | <p><b>8.6-</b> विगत पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में से <b>किसी भी एक वित्तीय वर्ष में</b> केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र/किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, या स्वायत्तशासी निकायों, या अनुसंधान केन्द्र-केन्द्रों, या बैंक और वित्तीय संस्थानों, या स्थानीय निकायों अथवा प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों में लेखन सामग्री, मुद्रण योग्य स्टेशनरी, ब्रोशर, पैम्फलेट की आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कार्यादेश तथा सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान का स्पष्ट प्रमाण-पत्र अपलोड करना चाहिए:-</p> <p>क-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 10.00-10.00 लाख (दस-दस लाख) के तीन अलग-अलग आदेश, या</p> <p>ख-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 15.00-15.00 लाख (पन्द्रह-पन्द्रह लाख) के दो अलग-अलग आदेश, या</p> <p>ग-किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 30.00 लाख (तीस लाख) का एक सिंगल आदेश।</p> |
| <p><b>पृष्ठ संख्या-16 के प्रस्तर-14.23</b></p> <p>कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्धारित समयान्तर्गत अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति की जानी नितान्त आवश्यक होगी, विलम्बतम् एक सप्ताह अन्दर आपूर्ति न किये जाने की दशा में आपूर्ति आदेश को निरस्त समझा जायेगा और आपूर्ति आदेश की धनराशि के सापेक्ष ₹ 5% की धनराशि प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड (Penalty) के रूप में वसूली की कार्यवाही करने के साथ-साथ सम्बन्धित फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि जब करते हुए ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अर्थदण्ड की कुल धनराशि आपूर्ति आदेश की धनराशि के सापेक्ष 10% से अधिक नहीं होगी।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्धारित समयान्तर्गत अर्थात् 15 दिन (पन्द्रह दिन) के अन्दर आपूर्ति की जानी नितान्त आवश्यक होगी, निर्धारित समयवधि के अन्दर आपूर्ति न किये जाने की दशा में आपूर्ति आदेश को निरस्त समझा जायेगा और आपूर्ति आदेश की धनराशि के सापेक्ष ₹ 5% की धनराशि प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड (Penalty) के रूप में वसूली की कार्यवाही करने के साथ-साथ सम्बन्धित फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि जब करते हुए ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अर्थदण्ड की कुल धनराशि आपूर्ति आदेश की धनराशि के सापेक्ष 10% से अधिक नहीं होगी।</p> <p>कार्यादेश जारी होने के पश्चात अनुबंधित फर्म को 15 दिन के अन्दर निर्धारित माप,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2 139 @mas 8r

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ लेखन सामग्री किट की आपूर्ति निम्न प्रकार समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों में की जाएगी:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1—जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तरकाशी।</li> <li>2—जिला निर्वाचन कार्यालय, चमोली (गोपेश्वर)</li> <li>3—जिला निर्वाचन कार्यालय रूद्रप्रयाग।</li> <li>4—जिला निर्वाचन कार्यालय, टिहरी गढ़वाल (नई टिहरी)</li> <li>5—जिला निर्वाचन कार्यालय—देहरादून।</li> <li>6—जिला निर्वाचन कार्यालय हरिद्वार (रोशनाबाद)</li> <li>7—जिला निर्वाचन कार्यालय पौड़ी गढ़वाल</li> <li>8—जिला निर्वाचन कार्यालय पिथौरागढ़</li> <li>9—जिला निर्वाचन कार्यालय, बागेश्वर</li> <li>10—जिला निर्वाचन कार्यालय, अल्मोड़ा</li> <li>11—जिला निर्वाचन कार्यालय, चम्पावत</li> <li>12—जिला निर्वाचन कार्यालय, नैनीताल</li> <li>13—जिला निर्वाचन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर (रूद्रपुर)</li> </ol> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

अतः इस कार्यालय की उपरोक्त निविदा सूचना संख्या—11/XXV - 01 / 2024 दिनांक 01 जनवरी, 2024 के साथ संलग्न निविदा संख्या—24/XXV - 01 / 2024 दिनांक 02 जनवरी, 2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

— 30 —  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

